

एस.अप्पुकुट्टन

बनाम

थुण्डईल जानकी अम्मा व अन्य

13 जनवरी 1988

न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी व एस. नटराजन जे.जे.

केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964 1972 के अधिनियम 17 द्वारा संशोधित

स्पष्टीकरण॥ ए से धारा 2 के खंड (25) तक इसका दायरा और प्रभाव

विशेष अनुमति के लिये इन अपीलों और याचिकाओं में केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964 की धारा 2 के खंड (25) के स्पष्टीकरण॥-ए के दायरे और प्रभाव के संबंध में कानून का एक सामान्य, प्रश्न उठाया, जिसे 1972 के अधिनियम 17 द्वारा संशोधित किया गया है। विचारणीय बात यह है कि क्या अधिनियम की धारा 2(25) के स्पष्टीकरण॥-ए के कारण, स्पष्टीकरण में निर्धारित अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के घर या झोपड़ी पर कब्जा करने वाला व्यक्ति कुडिकिडप्पुकरण बन जायेगा और अधिनियम के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों का हकदार होगा।

न्यायालय ने विशेष अनुमति हेतु याचिकाओं को खारिज करते हुए सिविल याचिका सं० 3045/1980 को अनुमति दी व सी.ए.सं. 2505/1977 को आंशिक मंजूरी दी।

अभिनिर्धारित: इन मामलों में पक्षों के तर्कों/मुद्दों की जांच अधिनियम की धारा 2 (25) में विधायिका द्वारा किये गये कई संशोधनों और केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के संदर्भ में की जानी थी [669 सी]

स्पष्टीकरण ॥ ए को किसी न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर स्पष्टीकरण का अधिभावी प्रभावी बनाने के लिये एक गैर अबाधित प्रावधान बनाया गया है जो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया था जो 16.8.68 को किसी घर या झोपड़ी के कब्जे में था और जो 1 जनवरी 1970 तक ऐसे कब्जे में बना रहा। विधायिका ने स्पष्टीकरण 2 ए प्रस्तुत करके, किसी भूमि या झोपड़ी के मालिक द्वारा दी गई किसी भी अनुमति के लिये अधिभोग के किसी भी संदर्भ को संदर्भित/समाप्त किया गया है। विधायिका ने न केवल अनुमत, अनुज्ञात आधिपत्य/कब्जे व्यवसाय के किसी भी संदर्भ को छोड़ दिया था बल्कि यह आदेश दिया गया कि 16.08.68 और 01.01.70 के बीच किसी भी भूमि पर और उस पर निवास स्थान के वास्तविक कब्जे वाले प्रत्येक व्यक्ति चाहे निवास का निर्माण किसी ने भी किया हो, को कुडिकिडप्पुका के रूप में मान्यता दी

जानी चाहिये। इस स्पष्ट प्रावधान के कारण, स्पष्टीकरण ॥ ए के लाभ के हकदार व्यक्ति के वर्ग को सीमित करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, उन लोगों के लिये जो घर या झोपड़ी पर कब्जा प्राप्त करने की प्रारंभिक अनुमति साबित करने में सक्षम थे। स्पष्टीकरण ॥ ए सुसंगत अवधि के दौरान किसी घर या उस पर एक झोपड़ी के निवासी को मुख्य खंड के तहत परिभाषित कुडिकिडप्पुकरण के समान करता है। ऐसे मामले में, स्पष्टीकरण ॥ ए की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वतः ही कुडिकिडप्पुकर का दर्जा प्राप्त करने का और उससे होने वाले सभी लाभों का हकदार होगा। दूसरे शब्दों, स्पष्टीकरण ॥ ए के तहत आने वाले व्यक्ति को वैधानिक रूप से धारा 2 के खंड (25) के उखंड क और ख में परिकल्पित रूप में किसी आवास या झोपड़ी पर कब्जा करने के लिये अनुज्ञात व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिये। स्पष्टीकरण ॥ ए द्वारा रखी गई एक मात्र सीमा यह है कि परिभाषा की सीमा के भीतर आने वाले व्यक्ति को स्पष्टीकरण के परंतुक द्वारा निर्धारित सीमा को पूरा करना चाहिये अर्थात् यदि उसने या उसके पूर्ववर्ती पूर्वज ने आवास का निर्माण नहीं किया था तो मकान लागत की दृष्टि से 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये या किराया 5 रुपये मासिक किराये से अधिक नहीं होना चाहिये और अधिभोगी के पास किसी शहर या प्रमुख नगर पालिका में तीन सेंट या किसी अन्य नगर पालिका में 5 सेंट या किसी पंचायत क्षेत्र या बस्ती में 10 सेंट से अधिक भूमि के स्वामी के रूप में या किरायेदार के रूप में

कब्जा नहीं होना चाहिये जिस पर वह भवन बना सकता है। उचित परिप्रेक्ष्य में देखे जाने पर स्पष्टीकरण ॥ ए धारा 2 के खंड (25) के द्वितीय भाग को इसका पूर्ण प्रभाव देने के लिये सक्षम बनाता है। अर्थात् धारा 2(25) के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों का हकदार बनाना, यदि वह पूर्व लिखित अवधि के दौरान निरंतर कब्जा साबित करने की आवश्यकता के बिना या स्पष्टीकरण 2-ए के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों का दावा करने के विकल्प के रूप में, भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रारंभिक अनुमति की प्राप्ति साबित करने की आवश्यकता के बिना स्पष्टीकरण द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान निरंतर कब्जा साबित करके भूमि और आवास पर कब्जा करने की प्रारंभिक अनुमति साबित करता है। स्पष्टीकरण ॥ ए अपने आप में सक्षम है जिसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि धारा 2 के खंड 25 के साथ साथ स्पष्टीकरण ॥ ए के परंतुक के उपखंड ख में समान शर्तें निर्धारित की गई हैं जिन्हें किसी आवेदक द्वारा कुडिकिडप्पु करने के रूप में अधिकारों का दावा करने के लिये मुख्य खंड या स्पष्टीकरण के तहत पूरा किया जाना है। यदि स्पष्टीकरण धारा 2 (25) के अधीन था, तो विधायिका को स्पष्टीकरण 2 ए के परंतुक के उपखंड धारा ख का उपबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन दोनों प्रावधानों के बीच कोई विरोध नहीं था क्योंकि धारा 2 (25) एक श्रेणी के आवासों के निवासियों से संबंधित है जबकि स्पष्टीकरण 2 ए एक अलग श्रेणी के आवासों के निवासियों से संबंधित है। [670 ए-एच.; 671 ए-जी]

केरल भूमि सुधार अधिनियम अधिभोग के अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन किसानों और कृषि श्रमिकों के लिये एक लाभकारी अधिनियम था जिनके पास अपने व्यवसाय के लिये अपनी खुद की आवास भूमि और निवास स्थान नहीं थे। लाभकारी अधिनियमों के मामले में, अदालतों को परोपकारी और उदार निर्माण की नीति का पालन करना चाहिये। भले ही इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि क्या स्पष्टीकरण ॥ ए उन व्यक्तियों को कुडिकिडप्पु अधिकार प्रदान करने की सीमा तक जा सकता है जो भूमि पर अपने वैध प्रवेश और निवास गृह के कब्जे को साबित करने में सक्षम नहीं थे। यह अभिनिर्धारित किया जाना था कि स्पष्टीकरण विशेष रूप से विधायिका के आशय पर अधिक जोर देने के लिये प्रदान किया गया था और इसलिये स्पष्टीकरण एक उदार और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की गारंटी देता है ताकि विधायिका के उद्देश्य को पूरा किया जा सके और इसका पालन किया जा सके । [672 जी-एच.; 673 जी-एच; 674 ए]

न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय के एक फैसले पलायी किझाक्केकरा मेथाई के पुत्र के. एम. मैथ्यू और अन्य बनाम पोथियाल मोम्मट्टी के बेटे हमसा हाजी और अन्य, सी-ए-नंबर 165/1974 आदि । जे.टी. 1987 (2) एससी 520 की ओर आकर्षित किया गया था लेकिन न्यायालय ने इन अपीलों में न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण और सी-ए-

नंबर 165/1974 में इस न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं पाया। [675 सी; 676 ई]

1980 के सी.ए.सं. 3045 में अपीलार्थी का 1982 के बाद से एक झोपड़ी पर आधिपत्य था फिर भी स्पष्टीकरण ॥ ए के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों के लिये उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि वह प्रतिवादी द्वारा झोपड़ी पर कब्जा करने हेतु दी गई अनुमति को साबित करने में सक्षम नहीं था। चूंकि न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्पष्टीकरण ॥ ए के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों के लिये दावेदार, जिसे परंतुक के अधीन कोई निर्हरता प्राप्त नहीं हुई थी, को अधिनियम की धारा 2 (25) में परिभाषित कुडिकिडप्पुकरण के समतुल्य रखे जाने के लिये केवल निर्धारित तिथियों के बीच कब्जे के तथ्य को साबित करने की आवश्यकता थी, इसलिये यह अपील सफल होनी थी और भूमि अधिकरण आदेश को पुनःस्थापित किया जाना चाहिये।[676 एफ-एच]

1977 के सी.ए.सं. 2505 में अपीलार्थी ने ए और बी अनुसूचियों में निर्धारित दो शेडों/छप्पर के संबंध में कुडिकिडप्पु अधिकारों का दावा किया। अपीलार्थी अनुसूची 'क' संपत्ति के संबंध में किसी भी राहत का हकदार नहीं था क्योंकि सभी न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से यह पाया गया था कि उसने शेड को वर्ष 1954 में किराये की रसीद के तहत पट्टे पर लिया था और यह शेड अस्तित्व में बना रहा और अपीलार्थी द्वारा इसका पुनर्निर्माण

नहीं किया गया था। अनुसूची बी शेड के संबंध में अपीलार्थी को केवल इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया कि वह प्रत्यर्थी और उसके पूर्ववर्ती द्वारा घर पर कब्जा करने और शेड लगाने की अनुमति देने को साबित करने में विफल रहा था। स्पष्टीकरण ॥ ए द्वारा परिकल्पित अवधि के दौरान अनुसूची बी संपत्ति के कब्जे के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी अनुसूची बी संपत्ति के संबंध में डिक्री का हकदार था। अपील को आंशिक रूप से अनुसूची 'बी' संपत्ति के संबंध में अनुमति दी गई थी और मामले को बी अनुसूची संपत्ति की कीमत निर्धारित करने और निर्देशों आदि के लिये भूमि न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया [677 ए-डी]

विशेष अनुमति के लिये याचिकायें विफल हो गईं क्योंकि यह समवर्ती रूप से पाया गया कि प्रत्येक मामले में प्रतिवादी द्वारा कब्जा किये गये शेड को याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई संपत्ति में शामिल किया गया था हालांकि उत्तरदाताओं द्वारा कब्जा बनाये रखने की अनुमति दी गई थी और इस तरह उत्तरदाता स्पष्टीकरण ॥ ए के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों का दावा करने के हकदार थे। चूंकि प्रतिवादियों को भूमि के स्वामी के द्वारा झोपड़ियों के कब्जे में शामिल किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता को दिये गये पट्टे में उत्तरदाताओं द्वारा कब्जा किये गये शेड भी शामिल हैं इसलिये याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सका कि उत्तरदाता अधिनियम की

धारा 80 बी के तहत प्रत्येक झोपड़ी से सटे भूमि की बिक्री की मांग करने का अधिकार नहीं था। [677 ई -एफ]

वेलायुधन बनाम एशाबी, ए. आई. आर. 1981 केरल 185; गोपालन बनाम. चेल्लम्मा, [1966] के. एल. टी. 673; मरियम और अन्य बनाम औसेफ ज़ेवियर, [1971] के. एल. टी. 709 अच्युतन बनाम नारायणी अम्मा, [1980] के. एल. टी. 160, ए. आई. आर. 1980 एन. ओ. सी. 90; मोइदीन कुट्टी बनाम गोपालन, [1980] के. एल. टी. 468; ईस्ट एंड इवेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, [1952] एसी 109; एम. के. वेंकटचलम बनाम बॉम्बे डाइंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (1959) एस. सी. आर. 703; आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम तेजासिंह, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 355; औद्योगिक आपूर्ति प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ, [1980]IV एस. सी. सी. 341; जीवनलाल और ओआरएस बनाम अपीलीय प्राधिकरण, [1984] 4 एस. सी. सी. 356; भरत सिंह बनाम नई दिल्ली तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली और अन्य का प्रबंधन, [1986] 2 एस. सी. सी. 614; सोनावती और अन्य बनाम श्री राम और अन्य, [1968] 1 एससीआर 617; आजाद सिंह और अन्य बनाम बरकत उल्ला खान और अन्य, [1983] 2 एस. सी. आर. 927; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम ब्रोच बरो नगरपालिका और अन्य, [1970] 1 एससीआर 388; हरि सिंह और अन्य बनाम सैन्य संपदा



अधिकारी और अन्य., [1973] 1 एस. सी. आर. 515; डी. कावासी एंड कंपनी मैसूर बनाम मैसूर राज्य और अन्य, [1985] 1 एस. सी. आर. 825 और पलवी किझाक्केकरा मथाई के पुत्र के. एम. मैथ्यू और अन्य बनाम पोथियाल मोम्मीटी के बेटे हमसा हाजी और अन्य., जे. टी. 1987 2 एस. सी. 520, संदर्भित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 3045/1980 आदि

सी. आर. पी. सं. 2711/1978 में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 3.6.1978 के निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी की ओर से एस. पद्मनाभन और एन. सुधाकरन।

उत्तरदाताओं की ओर से अब्दुल खादर और के. एम. के. नायर

न्यायमूर्ति नटराजन द्वारा निर्णय पारित किया गया ।

विशेष अनुमति के लिये इन अपीलों और याचिकाओं में केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 2 के खंड (25) के स्पष्टीकरण II-ए के दायरे और प्रभाव के संबंध में कानून का एक सामान्य प्रश्न उठाया, जिसे 1972 के अधिनियम 17 द्वारा संशोधित किया गया है। हालांकि निर्णय की शुरुआत में भी दो मामलों का उल्लेख करना आवश्यक है। यदि केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा वेलायुधन बनाम आइशाबी [(ए आई आर 1981 केरल 185 (FB) 1981 KER L.T 529)] में निर्णय के बाद दो अपीलों में निर्णय सुनाये गये होते, तो

परिणाम अलग होते और वहां इन अपीलों को दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती दूसरे, वेलायुधन बनाम आइशाबी [(ए आई आर 1981 केरल 185 (FB) 1981 KER L.T 529)] में निर्णय अंतिम हो गया क्योंकि फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है।

इन सभी मामलों में विचारणीय बात यह है कि क्या अधिनियम की धारा 2(25) के स्पष्टीकरण II-ए के कारण, स्पष्टीकरण में निर्धारित अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के घर या झोपड़ी पर कब्जा करने वाला व्यक्ति कुडिकिडप्पुकरण बन जायेगा और अधिनियम के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों का हकदार होगा।

मुद्दे की उचित समझ के लिए, हम कानून के इतिहास और उच्च न्यायालय के पहले के कुछ फैसलों का संक्षिप्त संदर्भ दे सकते हैं। मूल रूप से, दूसरों की वास भूमि पर रहने वाले घरों या झोपड़ियों के रहने वालों को केवल उनके द्वारा लगाए गए अधिरचना की सामग्री को हटाने या वैकल्पिक रूप से उसके लिए मौद्रिक मुआवजे की मांग करने का अधिकार दिया गया था। अधिकारों के प्रतिबंधित प्रावधान ने दूसरों की झोपड़ियों में रहने वालों को अंधाधुंध बेदखली का सामना करना पड़ा। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तत्कालीन कोचीन राज्य और त्रावणकोर राज्य ने उनके कब्जे की सुरक्षा के लिए उपयुक्त अधिनियम पारित किए। अंततः, जब त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन हुआ, तो त्रावणकोर-कोचीन कुडिकिडप्पुकरणों की

बेदखली रोकथाम अधिनियम, 1950 के रूप में जाना जाने वाला एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम के तहत भी, सुरक्षा केवल उन व्यक्तियों को दी गई थी जिन्होंने स्वयं अधिरचनाएं बनाई थीं, न कि उन व्यक्तियों को जो भूमि मालिकों द्वारा बनाई गई झोपड़ियों पर कब्जा कर रहे थे। केरल बेदखली कार्यवाही अधिनियम, 1957 के तहत भी उस वर्ग के व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। उक्त अधिनियम को केरल बेदखली कार्यवाही अधिनियम, 1958 द्वारा संशोधित किया गया था। इसके बाद केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964 (अधिनियम) लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 2 के खंड (25) में कुडिकिडप्पुकरण और कुडिकिडप्पु को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

“25. 'कुडिकिडप्पुकरण' का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास न तो कोई घर है और न ही किसी शहर या प्रमुख नगर पालिका में तीन सेंट या किसी अन्य नगर पालिका में पांच सेंट या किसी पंचायत क्षेत्र या टाउनशिप में दस सेंट से अधिक की कोई जमीन है, जो मालिक या किरायेदार के रूप में कब्जे में है, जिस पर वह एक घर बना सके और

(ए) जिसे किसी भूमि पर कानूनी रूप से कब्जा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा घर बनाने के उद्देश्य से ऐसी भूमि के एक हिस्से का उपयोग और कब्जा करने के लिए किराया देने की बाध्यता के साथ या उसके बिना अनुमति दी गई है; या

(बी) जिसे किसी भी भूमि पर कानूनी रूप से कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा किराए का भुगतान करने की बाध्यता के साथ या उसके बिना, ऐसे व्यक्ति की झोपड़ी पर कब्जा करने और उक्त भूमि पर रहने की अनुमति दी गई है;

और 'कूडिकिडाप्पु' का अर्थ है वह भूमि और घर या झोपड़ी जिसे बनाने या उससे जुड़ी सुख सुविधाओं के साथ कब्जा करने की अनुमति है

धारा 2(25) में दो स्पष्टीकरण थे। हमारे उद्देश्य के लिए, यदि हम अकेले स्पष्टीकरण॥ निर्धारित करें तो यह पर्याप्त है। इसे इस प्रकार पढ़ा गया:

“स्पष्टीकरण॥ -कोई भी व्यक्ति जो 11 अप्रैल, 1957 को कुडिकिडाप्पु के कब्जे में था, और जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर भी इस तरह के कब्जे में रहा, उसे इस खण्ड के तहत आवश्यक अनुमति के साथ ऐसे कुडिकिडाप्पु के कब्जे में माना जाएगा।”

गोपालन बनाम चेलम्मा (1966 K.L.T 673) में, केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे. माधवन नायर ने, 1961 की दूसरी अपील संख्या 558 में पहले के मामले में लिए गए विपरीत दृष्टिकोण पर ध्यान दिए बिना, कुडिकिडाप्पुकरण होने के लिये अधिभोग भूमि के मालिक की अनुमति से शुरू किया जाना चाहिए, दी गई अनुमति को बाद में वापस नहीं लिया जाना चाहिए या समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रासंगिक समय तक प्रभावी रहना चाहिए, स्पष्टीकरण॥ में का प्रभाव केवल शुरुआत में दी गई अनुमति को अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि तक बढ़ाने का प्रभाव होगा और यह कि भूमि पर जबरन प्रवेश करने वाला एक

अतिक्रमी कुडिकिडप्पुकरण के रूप में अधिकारों का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

इस निर्णय के बाद, अधिनियम में केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 के तहत कई संशोधन हुए। किए गए परिवर्तनों में से एक स्पष्टीकरण ॥ (उपलिखित) को एक परंतुक द्वारा प्रतिस्थापित करना था जो इस प्रकार है:

“बशर्ते कि कोई व्यक्ति, जो 16 अगस्त, 1968 को किसी भूमि और उस पर के निवास स्थान पर कब्जा में था या किसी अन्य व्यक्ति की झोपड़ी पर कब्जा में रहा था, और जो केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारंभ में ऐसे कब्जे में बना रहा, इस खंड के तहत आवश्यक अनुमति के साथ, जैसा भी मामला हो, ऐसी भूमि और वासभूमि, या झोपड़ी पर कब्जा माना जाएगा।”

इस प्रावधान का अर्थ न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, (उस समय की स्थिति अनुसार) ने मरियम बनाम ओसेफ जेवियर (1971 K.L.T. 709) में की थी और विद्वान न्यायाधीश गोपालन बनाम चेलम्मा (उपर्युक्त) में लिए गए दृष्टिकोण से केवल आंशिक रूप से भिन्न थे और उन्होंने अभिनिर्धारित

किया कि "निवासी को कुडिकिडप्पुकरण बनाने के लिए कब्जा करने की प्रारंभिक अनुमति अनिवार्य है" और यह प्रावधान केवल अगले चरण में ही लागू होता है और इसलिए ऐसी सुरक्षा केवल उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिन्होंने शुरू में अनुमति प्राप्त की थी, व भूमि या झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और अधिनियम के प्रारंभ होने तक कब्जा जारी रखा, बिना किसी अन्य प्रश्न के संदर्भ के कि क्या शुरू में दी गई अनुमति जारी रही या बाद में रद्द कर दी गई थी।

यह निर्णय दिए जाने के बाद, विधायिका ने एक बार फिर केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 के माध्यम से अधिनियम में कुछ संशोधन लाए। विधायिका ने धारा 2(25) (उपरिलिखित) के प्रावधान को हटा दिया और भूतलक्षी/पूर्वव्यापी प्रभाव स्पष्टीकरण॥ ए पेश किया। स्पष्टीकरण॥-ए निम्नलिखित प्रभाव वाला है;

स्पष्टीकरण॥-ए. -"किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी बावजूद, एक व्यक्ति, जो 16 अगस्त, 1968 को किसी भूमि और उस पर बने आवास पर कब्जे में रहा था (चाहे उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो) ब्याज या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित) और 1 जनवरी, 1970 तक ऐसे कब्जे में रहा कुडिकिडाप्पुकरण माना जाएगा,

बशर्ते कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कुडिकिडाप्पुकरण नहीं माना जाएगा;

(ए) ऐसे मामलों में जहां आवास का निर्माण ऐसे व्यक्ति या उसके किसी पूर्ववर्तियों द्वारा नहीं किया गया है, यदि -

(i) ऐसे आवास गृह का निर्माण, निर्माण के समय, सात सौ पचास रुपये से अधिक की लागत पर किया गया था; या

(ii) ऐसे आवास गृह से, निर्माण के समय, मासिक किराया पाँच रुपये से अधिक हो सकता था; या

(ब) यदि उसके पास एक इमारत है या किसी शहर या प्रमुख नगर पालिका में तीन सेंट या किसी अन्य नगर पालिका में पांच सेंट या किसी पंचायत क्षेत्र या टाउनशिप में दस सेंट से अधिक की भूमि पर मालिक के रूप में या किरायेदार के रूप में कब्जा है, जिस पर वह एक इमारत खड़ी कर सकता है।

1972 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण II-ए का दायरा और प्रभाव अच्युतन बनाम नारायणी अम्मा (1980 के एल.टी. 160: एआईआर 1980 एनओसी 90) मामले में केरल उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बेंच ने अभिनिर्धारित किया कि स्पष्टीकरण II-ए का प्रभाव अनुमत/ अनुमेय कब्जे के सबूत को अलग करना है या तो उसके समर्थन में या खंडन में, और यहां तक कि ऐसे



सबूत के अभाव में और मूल कब्जे के संबंध में किसी भी जांच के बिना, एक व्यक्ति जो उसमें उल्लिखित शर्तों को संतुष्ट करता है और उसके परंतुक के दायरे में नहीं आने पर उस कुडिकिडप्पुकरण माना जाएगा। यद्यपि मोइदीनकुट्टी बनाम गोपालन (1980) KLT 468 में एक अन्य खण्ड पीठ ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और माना कि त्रावणकोर-कोचीन अधिनियम, 1955 की धारा 4(2) कृषि संबंध अधिनियम, 1961 की धारा 2(20) के स्पष्टीकरण॥, केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964 की धारा 2(25) के स्पष्टीकरण॥ और संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा अतः स्थापित उपबंध के अधीन 1955 से जो विधिक कल्पना अस्तित्व थी, उसका उद्देश्य केवल उसे कुडिकिडाप्पुकरण की रक्षा करना था। जिसने उपर्युक्त कानूनों में से प्रत्येक के शुरू होने तक शुरू में दी गई अनुमति की वैधानिक निरंतरता प्रदान करके अनुमति के साथ कुडिकिडाप्पु पर अपना कब्जा शुरू किया था और 1972 के अधिनियम 17 द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण॥-ए ने प्रारंभिक अनुमति के मामले को भी कवर करने के लिए कानूनी कल्पना में कोई बदलाव या विस्तार नहीं किया था इसलिए, पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक किसी घर या झोपड़ी पर कब्जे की प्रारंभिक अनुमति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक स्पष्टीकरण॥-ए लागू नहीं होगा। यह अच्युतन मामले (उपर्युक्त) और मोइदीनकुट्टी मामला (उपर्युक्त) में दो खण्ड पीठों द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी विचारों के कारण वेलायुधन व अन्य बनाम आइशाबी व अन्य में मामले के निर्णय के लिये एक पूर्ण पीठ को

एक संदर्भ दिया गया था। पूर्ण पीठ ने विधान के इतिहास का विस्तृत रूप से अध्ययन करने और विधायिका द्वारा समय-समय पर किये गए परिवर्तनों पर विचार करते हुए घरों और झोपड़ियों के रहने वालों को कुडिकिडाप्पु अधिकार प्रदान करने के लिए पहले के निर्णयों की समीक्षा करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्पष्टीकरण II-ए की परिभाषा को व्यापक बनाने के लिए स्पष्टीकरण II-ए को धारा 2 (25) के परिशिष्ट के रूप में माना जा सकता है या वैकल्पिक रूप से धारा 2(25) को मुख्य प्रावधान और स्पष्टीकरण II-ए को अपवाद के रूप में माना जा सकता है। मामले के उस दृष्टिकोण में पूर्ण पीठ ने माना कि अच्युतन मामले (उपर्युक्त) निर्णय में सही कानून निर्धारित किया और मोइदीनकुट्टी मामले में लिया गया दृष्टिकोण पोषणीय नहीं था।

यह अधिनियम की धारा 2(25) में विधायिका द्वारा किए गए कई संशोधनों और केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में है, हमें संबंधित अपीलों में अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं के वकील की दलीलों की जांच करनी होगी। संबंधित अपीलों. केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने स्थिति का विश्लेषण किया है और अधिनियम में लाए गए परिवर्तनों के अंतर्निहित उद्देश्य और अब धारा 2 के स्पष्टीकरण II-ए द्वारा दिए गए नए आयाम के संबंध में निम्नलिखित तरीके से अपना दृष्टिकोण

प्रस्तुत किया है। वेलायुधन मामले में प्रासंगिक अंश [(AIR 1981 Ker 185) के पृष्ठ 192 पर पैरा 24 में है और इस प्रकार है:

“जब मूल रूप से अधिनियमित केरल भूमि सुधार अधिनियम की धारा 2(25) के स्पष्टीकरण II में 'कुडिकिडाप्पु के कब्जे में' शब्द को इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि इसके तहत कुडिकिडाप्पु के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति के लिए प्रासंगिक तिथि अप्रैल 11, 1957 के अनुसार, अनुमेय कब्जे को साबित करने की आवश्यकता थी। विधायिका ने "कुडिकिडाप्पु" शब्द को हटा दिया और संशोधित अधिनियम 1969 द्वारा यथासंशोधित धारा 2(25) के परन्तुक में "किसी भी भूमि और उस पर निवास स्थान पर कब्जा, या एक झोपड़ी पर कब्जा..." की शब्दावली का सहारा लिया गया एवं न्यायालय ने बताया कि अभी भी कल्पना का प्रभाव कब्जे के अनुमेय पहलू पर है, न कि व्यक्ति की कुडिकिडाप्पुकरण की स्थिति पर, और यह कि 'होमस्टेड' और 'हट' शब्द इस आवश्यकता के सूचक हैं कि प्रासंगिक तिथि (16 अगस्त, 1968) को अनुमेय कब्जा स्थापित किया जाना है, विधायिका ने

कल्पना से 'होमस्टेड' और 'हट' शब्दों को हटाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 के अनुसार केरल सुधार अधिनियम की धारा 2(25) के स्पष्टीकरण II-ए को अधिनियमित करके कुडिकिडप्पुकरण की स्थिति पर जोर दिया जाये।”

प्रारंभ में यह इंगित किया जाना चाहिये कि स्पष्टीकरण II-ए को किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको 16.8.1968 को किसी निवास स्थान या झोपडी का कब्जा था और जो 1.1.1970 तक लगातार बना रहा, के खिलाफ पारित किसी भी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश पर स्पष्टीकरण को अधिभावी प्रभाव देने के लिए एक गैर-अप्रत्याशित प्रावधान बनाया गया है। अगर हम धारा 2(25) के स्पष्टीकरण II को देखें जैसा कि यह मूल रूप से था और प्रावधान जिसने इसे इसके तहत प्रतिस्थापित किया था 1969 (संशोधन) अधिनियम और स्पष्टीकरण II-ए जिसे संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा पेश किया गया था, हम विधायिका द्वारा किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों और उनके अंतर्निहित कारणों को देख सकते हैं। स्पष्टीकरण II में, यह निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के दौरान कुडिकिडप्पु के कब्जे में है अर्थात् 11 अप्रैल, 1957 से अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख तक "इस खंड के तहत आवश्यक

अनुमति के साथ ऐसे कुडिकिडाप्पु का कब्जा माना जाएगा"। चूंकि गोपालन मामले में यह माना

गया था कि "अनुमति के साथ कुडिकिडाप्पु के कब्जे में" शब्दों का उपयोग, कुडिकिडाप्पु के एक कब्जेदार को एक घर में प्रवेश करने या दूसरे की भूमि पर एक झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए प्रारंभिक अनुमति साबित करने के लिए बाध्य करता है और आगे प्रासंगिक तिथि तक ऐसी अनुमति की निरंतरता को साबित करने के लिए, विधायिका ने 1969 के संशोधन अधिनियम के तहत स्पष्टीकरण II के लिए प्रतिस्थापित किये गये प्रावधान में "कुडिकिडाप्पु" शब्द को हटा दिया, फिर भी, मरियम मामले (उपर्युक्त) में यह माना गया था कि प्रावधान में के तहत आवश्यक अनुमति के साथ" शब्दों के उपयोग के कारण एक कब्जेदार को कुडिकिडाप्पुकरण बनाने के लिए प्रारंभिक अनुमति अनिवार्य थी। इसलिए, 1972 के संशोधन अधिनियम द्वारा स्पष्टीकरण II-ए प्रस्तुत करते समय विधायिका ने जो किया है, वह भूमि या झोपड़ी जैसा भी मामला हो, के मालिक द्वारा दी गई किसी भी अनुमति के संदर्भ में कब्जे के किसी भी संदर्भ को अलग करना है, हो। विधायिका ने न केवल अनुमेय कब्जे के किसी भी संदर्भ को त्याग दिया है, बल्कि यह आदेश भी दिया है कि 16 अगस्त, 1968 से 1 जनवरी, 1970 के बीच किसी भी भूमि और उस पर आवास गृह पर वास्तविक कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, भले ही आवास का निर्माण किसने किया हो, कुडिकिडाप्पुकरण के रूप में मान्यता दी जाएगी। उपयोग किए गए शब्द हैं "...व्यक्ति ..... कब्जे में..... रहने वाले व्यक्ति को कुडिकिडाप्पुकरण माना जाएगा"। इस स्पष्ट प्रावधान के कारण,

स्पष्टीकरण II-ए के लाभ के हकदार व्यक्तियों के वर्ग को केवल उन लोगों तक सीमित करने की कोई गुंजाइश नहीं है जो किसी घर या उस पर झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए प्रारंभिक अनुमति प्राप्त करने में सक्षम हैं। स्पष्टीकरण II-ए प्रासंगिक अवधि के दौरान एक घर या उस पर झोपड़ी के रहने वाले को मुख्य खंड के तहत परिभाषित कुडिकिडाप्पुकरण के बराबर करता है। ऐसी स्थिति में, स्पष्टीकरण II-ए की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वतः कुडिकिडाप्पुकरण का स्थिति और उससे मिलने वाले सभी लाभों का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, स्पष्टीकरण II-ए के तहत आने वाले व्यक्ति को वैधानिक रूप से धारा 2 के खंड (25) के उप-खंड (ए) और (बी) में परिकल्पित रूप में किसी आवास या उस पर झोपड़ी पर कब्जा करने की अनुज्ञात व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए। स्पष्टीकरण II-ए द्वारा लगाई गई एकमात्र सीमा यह है कि परिभाषा की शर्तों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को स्पष्टीकरण के परंतुक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए। यदि उसने या उसके पूर्ववर्ती ने आवास गृह का निर्माण नहीं किया था, तो घर लागत की दृष्टि से 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए या किराया-5 रुपये के मासिक किराए से अधिक नहीं होने चाहिये और कब्जेदार के पास किसी भी शहर या प्रमुख नगर पालिका में तीन सेंट या किसी अन्य नगर पालिका में पांच सेंट या किसी पंचायत क्षेत्र या बस्ती में दस सेंट से अधिक भूमि का मालिक या किरायेदार के रूप में कब्जा नहीं होना चाहिए, जिस पर वह निर्माण कर सके। उचित

परिप्रेक्ष्य में देखने पर, स्पष्टीकरण॥-ए विधायिका द्वारा अपने आशय को पूर्ण प्रभाव देने के लिए तैयार की गई धारा 2 के खंड (25) का दूसरे अंग का गठन करता है । धारा 2(25) किसी व्यक्ति को कुडिकिडाप्पु अधिकारों का दावा करने का अधिकार देती है यदि वह निर्धारित अवधि के दौरान निरंतर कब्जा साबित करने की आवश्यकता के बिना भूमि और आवास घर पर कब्जा करने की प्रारंभिक अनुमति साबित करता है। या स्पष्टीकरण॥ के तहत कुडिकिडाप्पु अधिकारों का दावा करने के विकल्प के बिना भूमि और उस पर स्थित आवास पर कब्जा करने के लिए प्रारंभिक अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्पष्टीकरण द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान निरंतर कब्जे को साबित करके। स्पष्टीकरण॥-A को अपनी स्वयं की क्रियात्मक शक्ति प्राप्त है और इसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि धारा 2 के खंड (25) के साथ-साथ स्पष्टीकरण॥-A के परंतुक के उप-खंड (बी) में समान शर्तें दी गई हैं जो कुडिकिडाप्पुकरण के रूप में अधिकारों का दावा करने के लिए मुख्य खंड या स्पष्टीकरण के तहत आवेदक द्वारा संतुष्ट की जानी है । दोनों प्रावधानों में कहा गया है कि कुडिकिडाप्पु अधिकारों के लिए किसी भी दावेदार के पास किसी भी शहर या प्रमुख नगर पालिका में तीन सेंट या किसी अन्य नगर पालिका में पांच सेंट या किसी भी पंचायत क्षेत्र या टाउनशिप में दस सेंट से अधिक की मालिक या किरायेदार के रूप में जिस पर वह एक घर बना सके कोई रियासत या कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। यदि स्पष्टीकरण धारा 2(25) के अधीन है, तो विधायिका को



स्पष्टीकरण II-ए के परंतुक में उप-खंड (बी) प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों प्रावधानों के बीच कोई विरोध/प्रतिकूलता नहीं है क्योंकि धारा 2(25) एक श्रेणी के घरों के रहने वालों/ निवासियों से संबंधित है जबकि स्पष्टीकरण II-ए एक अलग श्रेणी के घरों के रहने वालों/ निवासियों से संबंधित है।

स्पष्टीकरण II-ए प्रस्तुत करके विधायिका ने एक वैधानिक कल्पना का निर्माण किया है। वैधानिक कल्पनाओं की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, यह अब तक अच्छी तरह से तय हो चुका है। ईस्ट एंड डेवलपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल (1952) एसी 109 में लॉर्ड एस्क्विथ द्वारा तैयार दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में अनुमोदित किया गया है। लॉर्ड एस्क्विथ द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण इस प्रकार है:

“यदि आपको मामलों की एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित न किया गया हो, उन परिणामों और घटनाओं की भी वास्तविक कल्पना माननी चाहिए, जो, यदि मामलों की अनुमानित स्थिति वास्तव में अस्तित्व में थी, तो अनिवार्य

रूप से उत्पन्न होती। कानून के अनुसार आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को भटकने देना चाहिए या इसकी अनुमति देनी चाहिए”

इस न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण को कई मामलों में अपनाया गया है और हम उनमें से केवल कुछ का ही उल्लेख कर सकते हैं। देखें एम. के. वेंकटचलम बनाम बॉम्बे डाइंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (1959 SCR 703: AIR 1958 SC 875:, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली बनाम एस. तेजा सिंह (AIR 1959 SCC 352: में, इस न्यायालय ने बताया कि "यह अच्छी तरह से स्थापित व्याख्या का एक नियम है कि कानूनी कल्पना के दायरे को समझने में यह उचित और आवश्यक भी होगा उन सभी तथ्यों को मान लेना जिन पर अकेले कल्पना चल सकती है"। औद्योगिक आपूर्ति प्राइवेट में. लिमिटेड बनाम भारत संघ ([1980] 4 SCC 341), न्यायालय के अनुसार यह मत व्यक्त किया है:

“अब यह स्वयंसिद्ध है कि जब किसी कानूनी कल्पना को किसी कानून में शामिल किया जाता है, तो अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि कल्पना किस उद्देश्य से बनाई गई है। उद्देश्य सुनिश्चित करने के बाद वैधानिक कल्पना पर पूरा प्रभाव डालना चाहिए और उसे तार्किक परिणति तक ले जाना चाहिए। अदालत को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मानना होगा जो कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं। खान अधिनियम की धारा 2(1) के साथ पढ़े गए राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3(एन) में मालिक की परिभाषा में 'मानो वह थे' शब्दों का कानूनी प्रभाव यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता मालिक नहीं थे, फिर भी वे मालिक थे। प्रश्न में खदान के काम के ठेकेदारों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए था, हालांकि वास्तव में, ऐसा नहीं था।”

यह भी ध्यान में रखना होगा कि केरल भूमि सुधार अधिनियम एक लाभकारी अधिनियम है जिसका उद्देश्य उन किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए अधिभोग अधिकार सुरक्षित करना है जिनके पास अपने कब्जे के

लिए वास भूमि और निवास स्थान नहीं हैं। संयोगवश, हम उल्लेख कर सकते हैं कि 1972 के अधिनियम 17 को बाद में संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है और यह वासभूमि और उस पर झोपड़ियों के रहने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधायिका की चिंता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करेगा। लाभकारी अधिनियमों के मामले में अदालतों को परोपकारी और उदार निर्माण की नीति का पालन करना चाहिए। जीवनलाल व अन्य बनाम अपीलीय प्राधिकरण ([1984] 4 एससीसी 356: का निम्न प्रकार अवलोकन किया :

“एक सामाजिक कल्याण कानून बनाने में, अदालत को निर्माण का एक लाभकारी नियम अपनाना चाहिए; और यदि कोई धारा दो निर्माण करने में सक्षम है, तो उस निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिनियम की नीति को पूरा करता है, और उन व्यक्तियों के लिए अधिक फायदेमंद है जिनके हित में अधिनियम पारित किया गया है। हालाँकि, जब भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो तो अदालत को उसे लागू करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि उस स्थिति में, कानून के शब्द विधायिका के इरादे को दर्शाते हैं। जब भाषा स्पष्ट होती है, तो उसके परिणाम

विधायिका के लिए होते हैं, न कि अदालतों के विचार के लिए। असुविधा और कठिनाई का तर्क खतरनाक है और यह केवल निर्माण में स्वीकार्य है जहां कानून का अर्थ अस्पष्ट है और निर्माण के दो तरीके हैं। कानून के लाभकारी उद्देश्य को आगे बढ़ाने की अपनी चिंता में, अदालतों को अस्पष्टता की मांग के प्रलोभन में नहीं झुकना चाहिए, जब कोई भी अस्पष्टता न हो।”

भरत सिंह बनाम नई दिल्ली क्षय रोग केंद्र, नई दिल्ली का प्रबंधन ([1986] 2 SCC 614) में उपरोक्त नीति को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया था:

“अब, यह कहना तुच्छ है कि वंचितों को लाभ देने वाले सामाजिक सुधार के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों को उदारतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। यह सदैव न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी कानून को ऐसी संरचना प्रदान करे जो अधिनियम के प्रयोजन या उद्देश्य को बढ़ावा दे। एक निर्माण जो कानून के उद्देश्य को बढ़ावा देता

है, उसे शाब्दिक निर्माण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसा निर्माण जो गरीबों और वंचितों के अधिकारों को खत्म कर देगा और जिससे अन्याय होगा, उससे हमेशा बचना चाहिए”

इसलिए, भले ही इसमें संदेह की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि क्या स्पष्टीकरण II-ए उन व्यक्तियों को कुडिकिडाप्पु अधिकार प्रदान करने की सीमा तक जा सकता है जो भूमि पर अपने वैध प्रवेश या आवास गृह पर कब्जे को साबित करने में सक्षम नहीं हैं, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिये कि स्पष्टीकरण विशेष रूप से विधायिका के आशय पर अधिक जोर देने के लिए प्रदान किया गया है और इसलिए, स्पष्टीकरण एक उदार और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की गारंटी देता है ताकि कानून के उद्देश्य को पूरा किया जा सके और विधायी आशय का अनुपालन किया जा सके।

प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अब्दुल खादर ने हालांकि यह तर्क देने की कोशिश की कि स्पष्टीकरण II-ए को किसी भी तरह से समझा जाए, चाहे कानूनी कल्पना के रूप में या मूल कानून के पुनः अधिनियमित प्रावधान के रूप में, स्पष्टीकरण मुख्य खंड में निहित अनुज्ञेय कब्जे के संबंध में वकील ने तर्क दिया कि जब तक धारा 2 का खंड (25) कुडिकिडाप्पुकरण

को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता रहेगा, "जिसे अनुमति दी गई है... वैध कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा... के एक हिस्से का उपयोग और कब्जा करने के लिए उक्त भूमि में अपना घर/झोपड़ी बनाने के प्रयोजन के लिए भूमि", स्पष्टीकरण आवश्यक रूप से धारा 2 के खंड (25) में शब्दों द्वारा शासित और नियंत्रित किया जाएगा और इस तरह भले ही कोई व्यक्ति 16 अगस्त, 1968 से 1 जनवरी, 1970 की अवधि के बीच एक घर या झोपड़ी पर कब्जे में हो वह कुडिकिडाप्पुकरण के रूप में अधिकारों का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह भूमि या झोपड़ी के मालिक द्वारा जैसा भी मामला हो प्रारंभिक अनुमति के अनुदान को साबित करने में सक्षम न हो। यह तर्क दिया गया था कि अतिचारियों और अनधिकृत कब्जाधारियों को कुडिकिडाप्पुकरण का अधिकार प्रदान करना विधायिका का आशय नहीं था। हमारा ध्यान सोनावती व अन्य बनाम श्री राम व अन्य ([1968] 1 SCR 617 और आजाद सिंह व अन्य बनाम बरकतुल्लाह खान व अन्य ([1983] 2 SCR 927 के फैसलों की ओर आकर्षित किया । इन निर्णयों में यू.पी. में -"कृषि कब्जा" शब्द पाया जाता है। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1951 एवं उ.प्र. भूमि सुधार (अनुपूरक) अधिनियम, 1952 को वैध कब्जे के संदर्भ में माना गया है और इस तरह वे भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के मामले को कवर नहीं करेंगे। इस मामले में इन निर्णयों का कोई फायदा नहीं हो सकता है क्योंकि स्पष्टीकरण II-ए ने निर्धारित अवधि के दौरान एक रियासत के रहने वाले को

कुडिकिडाप्पुकरण के बराबर बताया है जैसा कि मुख्य खंड में परिभाषित किया गया है। स्पष्टीकरण की व्याख्या विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों के प्रकाश में की जानी चाहिए और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिसे प्राप्त किया जाना है और उस बुराई को ध्यान में रखना होगा जिसे अधिनियम द्वारा दूर किया जाना है।

श्री अब्दुल खादर ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि स्पष्टीकरण II-ए को पिछले अधिनियमों में संबंधित प्रावधानों में अदालतों द्वारा देखी गई सीमाओं को दूर करने के लिए विधायिका द्वारा पेश किए गए एक वैध प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए और इस तरह सत्यापित अनुभव को तब तक स्वीकृति नहीं दी जा सकती जब तक कि वैध कानून उसके लिए निर्धारित परीक्षणों को संतुष्ट नहीं करता है। विद्वान वकील ने इस संबंध में कुछ निर्णयों का उल्लेख किया, जैसे श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड व अन्य बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका व अन्य ([1970] 1 SCR 388:, हरि सिंह व अन्य बनाम सैन्य संपदा अधिकारी व अन्य ([1973] 1 SCR 515 और डी. कैवासजी एंड मैसूर कंपनी बनाम मैसूर राज्य व अन्य ([1985] 1 SCR 825, AIR 1984 SC 1980) और तर्क दिया कि एक वैध कानून को केवल तभी बरकरार रखा जा सकता है जब विधायिका के पास विषय वस्तु पर कानून बनाने की क्षमता है और दूसरी बात, यदि विधायिका ने पिछले कानून में अदालतों द्वारा देखी गई खामियों को दूर कर दिया है। यह तर्क



स्पष्टीकरण II-ए के शब्दों में विधायिका द्वारा किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन पर ध्यान देने में विफल रहा है। इसलिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि स्पष्टीकरण II-ए उन्हीं सीमाओं से ग्रस्त है जिनके बारे में पहले के प्रावधानों को प्रभावित माना गया था।

बहस समाप्त होने के बाद, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के वर्ष 1974 की अ.नं. 165 के निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत की है पलायी किझाक्केकरा मेथाई के पुत्र के. एम. मैथ्यू और अन्य बनाम पोथियाल मोम्मट्टी के बेटे हमसा हाजी और अन्य। जे. टी. 1987 (2) एस. सी. 520 जिसमें केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 7-डी, जैसा कि केरल भूमि सुधार (संशोधन) द्वारा संशोधित है, अधिनियम, 1969 की व्याख्या केवल उन व्यक्तियों को इसके तहत लाभ प्रदान करने के रूप में की गई है, जिनके निजी जंगलों या सर्वेक्षण रहित भूमि पर कब्जे की उत्पत्ति वैध थी, न कि अतिचार या जबरन और गैरकानूनी प्रवेश के आधार पर गैरकानूनी कब्जे वाले व्यक्तियों पर। हमने फैसले पर सावधानीपूर्वक विचार किया और पाया है कि इसमें दी गई घोषणा किसी भी तरह से उत्तरदाताओं के तर्कों का समर्थन नहीं करती है। केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 7-ए, 7-बी, 7-सी, 7-डी, 8 और 9 की योजना पूरी तरह से अलग है और इस स्थिति को संदर्भित निर्णय में निम्नलिखित

अनुच्छेद द्वारा संक्षेप में सामने लाया गया है। न्यायालय ने अधिनियम की योजना को निम्नलिखित शब्दों में सारांशित किया था:

“उपरोक्त प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका का आशय केवल उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना था। जिनके कब्जे की उत्पत्ति इस अर्थ में वैध थी कि वे या तो प्रमाणित रूप से मानते थे कि ज़मीनें सरकार की हैं, जिस पर वे बाद में अधिकार प्राप्त कर सकते थे या उन्होंने उन लोगों से ज़मीनें पट्टे पर ली थीं जिनके बारे में उनका मानना था कि वे ऐसे पट्टे देने के लिए सक्षम हैं या वैध स्वामियों को या वरम इत्यादि जैसी व्यवस्थाओं के आधार पर पट्टा देने के इरादे से कब्जा किया गया था जो केवल लाइसेंस की प्रकृति में थे और पट्टे के अधिकार से कम थे। विधायिका का आशय ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण का लाभ देना विधायिका के विचार में नहीं था, जिन्होंने जानबूझकर दूसरों की भूमि पर अतिक्रमण किया था और जिनका कब्जा मूल रूप से गैरकानूनी था। धारा 7-डी में आने वाली अभिव्यक्ति "कब्जे

में" का अर्थ "वैध कब्जे में" के रूप में समझा जाना चाहिये।"

उस मामले में स्पष्ट निष्कर्ष यह था कि अपीलकर्ता ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा किया था और उसकी अपनी दलील यह थी कि वह अतिचार द्वारा भूमि के कब्जे में आया था। इसलिए, वह उन व्यक्तियों के वर्ग से बहुत दूर था जिनके विधायिका उपबंध करना चाहती थी। जिन व्यक्तियों ने वास्तविक गलत धारणा के तहत भूमि पर प्रवेश किया था, उन्होंने यह गलत धारणा बना ली थी कि भूमि सरकार की है और सौंपने योग्य है या वह भूमि उस व्यक्ति की है जिसने उन्हें पट्टा आदि दिया था। इसलिए, प्रवेश एक प्रामाणिक विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। भूमि की प्रकृति के बारे में गलती हुई है और इसलिए कोई अतिक्रमी किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है। लेकिन जहां तक अधिनियम की धारा 2(25) और स्पष्टीकरण II-ए का संबंध है, घर या झोपड़ी के रहने वाले को यह साबित करने का आदेश नहीं दिया गया है कि उसने वास्तविक गलत धारणा के तहत घर या झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है और वह अतिक्रमी नहीं है। उसे केवल मुख्य धारा के तहत यह साबित करने की जरूरत है कि उसे घर या झोपड़ी पर कब्जा करने की अनुमति

दी गई थी और स्पष्टीकरण II-ए के तहत वह 16 अगस्त, 1968 से 1 जनवरी, 1970 तक लगातार कब्जे में था। संभवतः विधायिका का मानना था कि एक किसी घर या झोपड़ी पर रहने वाले को इतने लंबे समय तक कब्जे में रहने की अनुमति नहीं दी जाती अगर वह अतिक्रमी होता। इसलिए, इन अपीलों में हमारे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और सी.ए.नं. 165/74 (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के बीच कोई विरोधाभास नहीं है ।

विधि के प्रश्न को हल करने के बाद हमारे द्वारा अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं को उनके गुण-दोष के आधार से निपटाया जावेगा। वर्ष 1980 की सी.ए.नं. 3045 में यह पाया गया कि अपीलार्थी के पास न 1962 से एक एक झोपड़ी कब्जे में थी फिर भी स्पष्टीकरण II ए के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों के लिये उनके दावे को खारिज कर दिया गया था क्योंकि वह प्रतिवादी द्वारा झोपड़ी पर कब्जा करने की अनुमति देने को साबित करने में सक्षम नहीं थे। चूंकि हमारे यह अभिनिर्धारित किया है कि स्पष्टीकरण II ए के अधीन कुडिकिडप्पु अधिकारों के लिये दावेदार, जिसे परंतुक के अधीन कोई अयोग्यता नहीं होती है, को अधिनियम की धारा 2 (25) में परिभाषित कुडिकिडप्पुकरण के समरूप रखे जाने के लिये निर्धारित तिथियों के बीच केवल कब्जे के तथ्य को साबित करने की आवश्यकता है, इसलिये अपील को सफल होना होगा और तदनुसार इसकी

अनुमति दी जावेगी। फलतः 1973 की ओ.ए. नं. 22 में भूमि न्यायाधिकरण टेलीचेरी के आदेश को बहाल कर दिया जायेगा, लेकिन समय की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से तीन माह के भीतर भूमि अधिकरण द्वारा निर्धारित भूमि और झोपड़ी के मूल्य के लिये पूरी राशि का भुगतान करे।

वर्ष 1977 की स.अ.नं. 2505 में अपीलार्थी ने वाद में वर्णित एऔर बी अनुसूचियों में निर्धारित दो शेडों/छप्परों के संबंध में कुडिकिडप्पु अधिकारों का दावा किया। जहां तक अनुसूची 'ए' से संबंधित संपत्ति का संबंध है अपीलार्थी किसी भी राहत का हकदार नहीं है क्योंकि सभी न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से यह पाया गया कि उसने चाय की दुकान चलाने के लिये किराये की रसीद के तहत वर्ष 1954 में पट्टे पर छप्पर लिया था और यह कि छप्पर अस्तित्व में बना रहा और अपीलार्थी द्वारा इसका पुननिर्माण नहीं किया गया था। यद्यपि जहां तक अनुसूची बी में वर्णित छप्पर का प्रश्न है अपीलार्थी को केवल इस आधार पर राहत देने से इंकारकर दिया गया है कि वह प्रत्यर्थी और उसके पूर्ववर्तियों द्वारा घर पर कब्जा करने और छप्पर लगाने की अनुमति देने को साबित करने में विफल रहा था।

विशेष अनुमति याचिका 204 और 205 को विफल करना होगा क्योंकि यह समवर्ती रूप से पाया गया है कि प्रत्येक मामले में प्रत्यर्थी

द्वारा कब्जा किये गये शेड याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई संपत्ति में शामिल थे, हालांकि प्रतिवादियों द्वारा कब्जा बनाये रखने की अनुमति दी गई थी, और इस तरह उत्तरदाता अधिनियम की धारा 2 (25) के स्पष्टीकरण ॥ ए के तहत कुडिकिडप्पु अधिकारों का दावा करने के हकदार हैं। चूंकि प्रतिवादियों को भूमि के मालिक द्वारा झोपड़ियों के कब्जे में शामिल किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता को दिये गये पट्टे में प्रतिवादियों द्वारा कब्जा किये गये शेड भी शामिल थे, इसलिये याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि प्रतिवादियों को अधिनियम की धारा 80 बी के तहत प्रत्येक झोपड़ी से सटे दस सेंट भूमि की बिक्री की मांग करने का अधिकार नहीं है। इसलिये विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

अपीलों के साथ-साथ विशेष अनुमति याचिकाओं में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं ।

याचिकाएं और याचिकाएं खारिज।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मीनाक्षी व्यास (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)